रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042023-244999
CG-DL-E-08042023-244999

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945
No. 213] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

सा.का.नि. 274(अ).— कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 49) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए एक प्रारुप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i), तारीख 22 नवंबर, 2022 को भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 833 (अ), तारीख 22 नवंबर, 2022 द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, 30 दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 22 नवंबर, 2022 को उपलब्ध कर दी गई थी;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 6 में, उप नियम (2) में, खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

(i) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (3ख) के अधीन पंजीकरण के लिए रसायन कीटनाशी से संबंधित आवेदन के मामले में दो लाख पच्चीस हजार रुपये;

(ii) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (3ख) के अधीन पंजीकरण के लिए जैव-कीटनाशी से संबंधित आवेदन के मामले में दस हजार रुपये;

(iii) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन निर्यात से संबंधित पंजीकरण के लिए आवेदन के मामले में बारह हजार पांच सौ रुपये;

(iv) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन पंजीकरण के लिए रसायन कीटनाशी से संबंधित आवेदन के मामले में पच्चीस हजार रुपये;

3. उक्त नियमों में, नियम 6क में, "एक सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 6ख में, -

(i) " एक सौ रुपये की फीस संदत्त की जाएगी" शब्दों के स्थान पर "फीस का भुगतान सारणी के अनुसार किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) निम्नलिखित "सारणी" अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

"

क्रम संख्या	**लेबल और पर्चियों सहित पंजीकरण प्रमाण पत्र में वर्धन, लोप या परिवर्तन आदि और अन्य संबंधित गतिविधियां**	**पंजीकरण के लिए देय फीस (रुपये में)**
(1)	(2)	(3)
1.	जैव-कीटनाशी के पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता के विस्तार के लिए अनुमोदन	5,000/-
2.	कीटनाशकों के पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता के लिए अनुमोदन	
3.	कंपनी/फर्म के नाम में परिवर्तन के लिए अनुमोदन	
4.	पहली बार कारखाने का पता / कारखाने का स्थानांतरण और दूसरा कारखाना पता स्थापित करने के लिए अनुमोदन	1,000/- प्रति प्रमाणपत्र
5.	अधिग्रहण / विलय / विनिवेश / समामेलन / विनिवेश के मामले में, एक व्यक्ति / उपक्रम के पंजीकरण प्रमाण पत्र का किसी अन्य व्यक्ति / उपक्रम के नाम पर स्थानांतरण के लिए अनुमोदन	
6.	विनिवेश के कारण रसायनों के आयात के स्रोत के नाम में परिवर्तन करने के लिए अनुमोदन	
7.	आयात के स्रोत के नाम में परिवर्तन	5,000/-

8.	पंजीकरण प्रमाण पत्र में आयात के, पहले से ही अनुमोदित अतिरिक्त स्रोत, को शामिल करने के लिए अनुमोदन	2,500/-
9.	पंजीकरण प्रमाण पत्र के संबंध में कार्यालय के पते में परिवर्तन करने के लिए अनुमोदन	1,000/- प्रति प्रमाणपत्र
10.	पंजीकरण के प्रमाण पत्र में आयात के पहले से स्वीकृत स्रोत के आपूर्तिकर्ता के नाम के लिए अनुमोदन	2,500/-
11.	लेबल मे विस्तार करने के लिए अनुमोदन 9(3)	15,000/-
12.	लेबल मे विस्तार करने के लिए अनुमोदन 9(4)	5,000/-
13.	शेल्फ-आयु के लिए अनुमोदन 9(3)	2,500/-
14.	शेल्फ-आयु के लिए अनुमोदन 9(4)	
15.	नई/वैकल्पिक पैकेजिंग के लिए अनुमोदन 9(3)	5,000/-
16.	नई/वैकल्पिक पैकेजिंग के लिए अनुमोदन 9(4)	2,500/-
17.	घरेलू उपयोग के लिए कीटनाशक का लेबल विस्तार 9(3)	5,000/-
18.	उपरोक्त श्रेणियों के अलावा अन्य अनुमोदन	1,000/-
19.	आयात अनुज्ञा-पत्र (बहुउपयोगी, बोरिक एसिड और जैवनाशी)	5,000/-
20	शोध , जांच और परीक्षण (आर. टी. टी.)	2,500/-
21	नि: शुल्क विक्रय प्रमाण पत्र	500/- प्रति प्रमाणपत्र
22	प्रमाणपत्र का अनुप्रमाणन	

”

5. उक्त नियमों में नियम 7 में, उपनियम (3) में, “एक हजार रुपये ” शब्दों के स्थान पर “दो हजार पांच सौ रुपये” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 13028/01/2020-पीपी-I]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

टिप्पण :- मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1650 (अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 211 (अ) तारीख 23 मार्च, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2023

G.S.R. 274(E) —Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) vide notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) number G.S.R. 833 (E), dated the 22nd November, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 22nd November, 2022;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :--

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Insecticides (Third Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, in sub-rule (2), for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

(i) rupees two lakhs twenty-five thousand in case of application relating to Chemical Insecticides for registration under sub-section (3) and (3B) of section 9 of the Insecticides Act, 1968;

(ii) rupees ten thousand in case of application relating to Bio-pesticides for registration under sub-section (3) and (3B) of section 9 of the Insecticides Act, 1968;

(iii) rupees twelve thousand five hundred in case of application relating to Export for registration under sub-section (3) of section 9 of the Insecticides Act, 1968; and

(iv) rupees twenty-five thousand in case of application relating to Chemical Insecticides for registration under sub-section (4) of section 9 of the Insecticides Act, 1968.

3. In the said rules, in rule 6A, for the words “rupees one hundred”, the words “rupees five hundred” shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 6B, ---

(i) for the words “A fee of rupees one hundred shall be paid”, the words “The fees shall be paid as provided in the TABLE” shall be substituted,

(ii) the following “TABLE” shall be inserted, namely:--

TABLE

“

<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Addition , deletion or alteration etc. on the Certificate of Registration including labels and leaflets and other related activities</th><th>Fee payable for Registration (in Rupees)</th></tr>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Endorsement of Extension of Validity of CRs of Bio-pesticide</td><td rowspan="3">5,000/-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Endorsement of Extension of Validity of CRs of Insecticides</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Endorsement of change of name of the company/firm</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Endorsement of factory address for the first time/shifting of factory and establishment of second -factory address</td><td rowspan="3">1,000/- per Certificate</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Transfer of certificate of registration of one person/undertaking in the name of another person/undertaking in case take over /merger/ divestment/amalgamation/disinvestment</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Endorsement of change of name of source of import of chemicals due to disinvestment</td></tr>
</table>

7.	Change of name of source of import	5,000/-
8.	Endorsement for inclusion of already approved additional source of import in the Registration Certificate	2,500/-
9.	Endorsement of change in office address with respect to certificates of registration	1,000/- per Certificate
10.	Endorsement of name of supplier of already approved source of import in the certificate of registration	2,500/-
11.	Endorsement of Label Expansion 9(3)	15,000/-
12.	Endorsement of Label Expansion 9(4)	5,000/-
13.	Endorsement of shelf-life 9(3)	2,500/-
14.	Endorsement of shelf-life 9(4)	
15.	Endorsement of new/alternate packaging 9(3)	5,000/-
16.	Endorsement of new/alternate packaging 9(4)	2,500/-
17.	Label expansion of insecticide for household use 9(3)	5,000/-
18.	Endorsement other than above categories	1,000/-
19.	Import Permit (Multi use, Boric acid and Biocides)	5,000/-
20.	Research, test and trials (RTT)	2,500/-
21.	Free sale Certificate	500/- per Certificate
22.	Attestation of Certificate	

”

5. In the said rules, in rule 7, in sub-rule 3, for the words “rupees one thousand”, the words “rupees two thousand five hundred” shall be substituted.

[F. No. 13028/01/2020-PP-I]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and were last amended vide G.S.R. 211 (E) dated 23rd March, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.04.08 09:26:42 +05'30'